



**महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय**  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

**कादर नवाज़ ख़ान**  
कार्यकारी कुलसचिव  
**Kadar Nawaz Khan**  
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902  
फैक्स / Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-62 / 2017  
दिनांक : 27.10.2017

### परिपत्र

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों या विद्यार्थी संगठनों द्वारा लगायी जाने वाली सूचनाएँ/पोस्टर/बैनर लगाने के लिए गांधी हिल और नजीर हाट परिसर में स्थान निश्चित किये गये हैं। दोनों स्थानों पर दो बड़े आकार (4X8 फिट) के दोनों तरफ उपयोग में लाने योग्य सूचना पट्ट की व्यवस्था परिसर विकास द्वारा की जा रही है। सूचना पट्ट लगाने के बाद वर्तमान में लगे हुए समस्त पोस्टर/बैनर विश्वविद्यालय द्वारा हटा दिए जाएंगे।

उपर्युक्त के संबंध में निम्नांकित दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है:

1. दोनों स्थानों पर लगाए जानेवाले पोस्टर/बैनर/सूचनाएं विद्यार्थियों के हित से संबंधित होनी अनिवार्य हैं।
2. कोई भी आपत्तिजनक सूचना तथा किसी व्यक्ति, समाज या समूह, संप्रदाय आदि की भावनाओं को आहत करने वाली, विद्यार्थियों के मध्य सौहार्द बिगाड़ने वाली, विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने वाली सूचना लगाना सर्वथा वर्जित रहेगा। ऐसी सूचना या सामग्री लगाने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3. कोई भी सूचना-पत्रक संबंधित कार्यक्रम के संपन्न होने तक अथवा अधिकतम 15 दिनों तक सूचना पट्ट पर मान्य रहेगा।
4. उक्त दोनों निर्धारित सूचना पट्टों के अलावा विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी अन्य स्थान/दीवार/बोर्ड/गेट आदि पर सूचना/पोस्टर/बैनर लगाना/चिपकाना वर्जित होगा। इसके उपरांत भी अनधिकृत स्थान पर सूचना/पोस्टर/बैनर चिपकाए/लगाए जाने पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
5. निर्धारित सूचना पट्ट पर ए-4 आकार के कागज पर सूचना तथा 2X3 फिट से बड़ा पोस्टर/बैनर नहीं होना चाहिए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

**कादर नवाज़**  
(कुलसचिव) 27/10/17

प्रति :

**समस्त विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/छात्रावास अधीक्षक**

(ईमेल द्वारा, इस आशय के साथ कि परिपत्र विभाग के सूचना पट्ट पर लगवाएं)

प्रतिलिपि: 1. कुलपति कार्यालय 2. प्रतिकुलपति कार्यालय, 3. कुलानुशासक  
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट 5. सुरक्षा अधिकारी (आवश्यक कार्रवाई हेतु)